

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकान रामगढ जिला-अलवर

बनाम

गुलफिस् बिर

अजित सिंह

किस्म मुकदमा

ग्रा. पत्र

नं०

2/2/20/1

सन्

22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.07.2022	<p>आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जयें एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 13.09.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा न० 255 रकबा 0.48 हैक्ट0 जिसका खाता सं० 102 वाकेग्राम बरवाडा तहसील रामगढ हाल तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर को आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखे तथा रहन बेय न करे। प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत पैदा न करे। प्रार्थी साधारण/रजिस्टर्ड ए0डी0 से दिनांक 13.09.2022 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। पत्रावली दिनांक 13.09.2022 को पेश हो।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

फर्द अहकाम

न्यायालय.....उफखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....गोविन्दगढ़ (अलवर)
गुरजीत सिंह.....बनाम.....जागीर सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
<p>17.11.23</p> <p><u>29.12.23</u></p>	<p>पत्रावली पेश। P.O. साहब.....पुनाव..... जागीर सिंह..... पत्रावली दिनांक.....29.12.23.....को पेश हो। [Signature] रीडर</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। पक्षील हाथी अनुपस्थित। पक्षील व उनके हाथी को न्यायालय द्वारा भावाज किल्ली गई। साय 5:00 बजे तक इंतजार किया तथा पुनः भावाज उलामी गई। इसके बावजूद पक्षील व हाथी अनुपस्थित। अतः हाथीना पत्रा-212 RPS पक्षील व उनके हाथी की अदम बेखी - अदम लाजिरी वैश्वारिय किया जाता है। पत्रावली केवल शूअर डेफर खेल्वा से फर्म हो। बाढ़ तामिल त्वील मूल पाद के साथ सेलज्ज हो। [Signature]</p> <p style="text-align: right;">उफखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज्</p>	